Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380,
http://www.srjis.com/issues_data?issueId=210
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAY-JUNE 2023, VOL- 11/77
https://doi.org/10.5281/zenodo.8123301

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा का क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ

सुनील कुमार भट्ट[1]& डा0 भास्कर चौधरी[2]

[1]शोध छात्र, शिक्षा संकाय, सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा परिसर, कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल

[2]सहायक प्राध्यापक, शिक्षा संकाय, सोबन सिंह जीना अल्मोड़ा परिसर, कुमाँऊ विश्वविद्यालय, नैनीताल

Paper Received On: 21 JUNE 2023
Peer Reviewed On: 30 JUNE 2023
Published On: 01 JULY 2023

Abstract

बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा के महत्व को देखते हुए नई शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थापित करने की पुरजोर वकालत करती है । प्रस्तुत अध्ययन "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा का क्रियान्वयन एवं चुनौतियां" का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग विकास खण्ड में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा हिंदी की धरातलीय स्थिति एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मातृ भाषा के क्रियान्वयन में संभावित समस्याओं का अध्ययन करना था । शोध हेतु गुणात्मक शोध विधि का अनुसरण करते हुए अभिभावकों, शिक्षकों एवं विशेषज्ञों का साक्षात्कार किया गया । शोध परिणाम दर्शाते हैं कि समाज में मातृ भाषा विद्यालयों के प्रति रुचि कम हुई है तथा मातृ भाषा आधारित विद्यालयों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है । शिक्षा माध्यम के रूप में हिंदी माध्यम विद्यालयों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है जबकि पूर्व में गठित तमाम आयोगों की संस्तुतियों एवं नीतियों में मातृ भाषा को ही शिक्षा माध्यम के रूप में अपनाने की बात की गई है । दोषपूर्ण नीतिगत क्रियान्वयन के कारण मातृ भाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाई है । कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसका क्रियान्वयन पूर्ण निष्ठा के साथ न किया जाए । वर्तमान में मातृ भाषा के प्रति घटती रुचि के प्रमुख कारण मातृ भाषा

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

की उपयोगिता के संबंध में जागरूकता का अभाव, राजकीय हिंदी माध्यम विद्यालयों की दुर्दशा, उच्च शिक्षा में अंग्रेजी का बोलबाला, मातृभाषा में रोजगार के अवसरों का कम होना आदि हैं । अतः मातृभाषा को प्रोत्साहित करने हेतु सुचारु नीतिगत क्रियान्वयन की गहरी आवश्यकता है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा आधारित शिक्षा के विचार को पूर्ण निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाए । विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में ठोस पहल की जाये । शिक्षक, शिक्षाविद, योजना निर्माता, नेता तथा समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति दोहरे चरित्र को त्याग कर स्वयं भी अपने पाल्यों की शिक्षा हेतु मातृभाषा माध्यम विद्यालयों का चयन करें ।

मुख्य पद : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मातृभाषा , शिक्षा माध्यम, मातृभाषा का क्रियान्वयन, चुनौतियां

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

पृष्ठभूमि

मानव समाज के सदस्यों के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध व विचार विनिमय का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भाषा है । मनुष्य भाषा को भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति का साधन मानते हैं । बच्चों के व्यक्तित्व एवं उनके विभिन्न कौशलों के विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । भाषा एक सर्वाधिक मजबूत ताकत के रूप में बच्चों के चिंतन, मनन, दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं, मूल्यों, मनोवृत्तियों आदि को साकार करती है ।

मातृभाषा बालक की शिक्षा का आधार होती है उसे एक स्वतंत्र विषय में अध्यापन के साथ ही शिक्षा के माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया जाना चाहिए । हमारी शिक्षा का कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, उसकी प्राप्ति में मातृभाषा का स्थान सर्वोपरि होता है । मातृ भाषा आधारित शिक्षा स्वाभाविक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, व्यक्ति को मातृ भाषा में अपने विचार प्रकट करने के लिए अधिक विचार नहीं करना पड़ता । कहा जाता है मातृ भाषा जैसी सरसता और पूर्णता की अनुभूति किसी अन्य भाषा में संभव नहीं है । साहित्यिक सृजनात्मकता का विकास मातृ भाषा में ही प्रभावी रूप से संभव है ।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

नई शिक्षा नीति 2020 बच्चों की शिक्षा में मातृ भाषा के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहती है "यह सर्व विदित है की छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/ मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं और समझते हैं । घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है । हालाँकि, कई बार बहुभाषी परिवारों में, परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली एक घरेलू भाषा हो सकती है, जो कभी-कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है । जहाँ तक संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक लेकिन बेहतर यह होगा की यह ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी हो, शिक्षा का माध्यम, घर की भाषा/ मातृभाषा/ स्थानीय भाषा/ क्षेत्रीय भाषा होगी । इसके बाद, घर/ स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा । सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे । विज्ञान सहित सभी विषयों में उच्चतर गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषाओं / मातृ-भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा । यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे की बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच यदि कोई अंतराल मौजूद हो तो उसे समाप्त किया जा सके । ऐसे मामलों में जहाँ घर की भाषा की पाठ्य-सामग्री उपलब्ध नहीं है, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद की भाषा भी जहाँ संभव हो, वहाँ घर की भाषा बनी रहेगी । शिक्षकों को उन छात्रों के साथ जिनके घर की भाषा/ मातृभाषा शिक्षा के माध्यम से भिन्न है, द्विभाषी शिक्षण अधिगम सामग्री सहित द्विभाषी एप्रोच का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । सभी भाषाओं को सभी छात्रों को उच्चतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाया जाएगा; एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है ।"

इस प्रकार हम देखते हैं की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्पष्ट रूप से मातृभाषा को शिक्षण माध्यम के रूप में अपनाने की पैरवी करती है । यह पहली बार नहीं है कि जब किसी आयोग और शिक्षा नीति द्वारा मातृभाषा के महत्व को समझते हुए उसे अपनाने पर बल दिया है । इससे पूर्व भी अधिकांश आयोग एवं नीतियाँ निरंतर मातृ भाषा के

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

महत्व को उल्लिखित करती रहीं । इस सब के बावजूद समाज में मातृ भाषा की स्थिति विचारणीय है, प्रश्न उठता है आखिर क्या वह प्रमुख कारण हैं जिसके कारण एक बार पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस संबंध में मुखर है । प्रस्तुत शोध समस्या के अंतर्गत हमने शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा से संबंधित धरातलीय स्थिति का अध्ययन करने का प्रयास किया है ताकि उस ओर ध्यान देते हुए मातृ भाषा के बेहतर क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके । उक्त शोध समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा करते हुए स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में गठित तमाम आयोगों के प्रत्यावेदनों एवं नीतियों का अध्ययन किया गया । निष्कर्षतः यह पाया गया की लगभग सभी ने शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा के उपयोग पर अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की, संस्तुतियों के आधार पर तैयार की गई नीतियों में भी उनका प्रभाव देखा गया । सिफारिशों के आधार पर शिक्षा में मातृभाषा के महत्व से संबंधित सुझाव दिये गये । मैकाले (1835), ने अपने विवरण पत्र में मातृभाषा को महत्व नहीं दिया, उसने मातृ भाषा को नजरंदाज करते हुए कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोष का अभाव है और वे इतनी अविकसित तथा गँवारू हैं कि जब तक उनको वाह्य भण्डार से सम्पन्न नहीं किया जायेगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा । वुड (1854), ने अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकार किया है । घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है की यूरोपीय ज्ञान के प्रसार हेतु अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में एक साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है । भारतीय शिक्षा आयोग (1882), ने शिक्षा के माध्यम के विषय में सुझाव देते हुए प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी । सैडलर आयोग (1919), द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने की सिफारिश की, आयोग की इस सिफारिश को सरकार द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई । वुड एबट (1937), के प्रत्यावेदन के अनुसार निम्न

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा पर बल नहीं देना चाहिए तथा हाईस्कूल तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए । सार्जेण्ट प्रत्यावेदन (1944), द्वारा सभी हाईस्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने के लिए कहा गया । राधाकृष्णन आयोग (1949) द्वारा सुझाव दिया गया था कि उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाये । प्रारम्भिक स्तरों पर मातृभाषा को ही स्वीकार किया गया । मुदालियर आयोग (1953) द्वारा सुझाव दिया गया कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए । शिक्षा आयोग (1966) ने मातृभाषा के प्रयोग को स्वीकार करते हुए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) द्वारा शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अपनाते हुए प्रारंभिक स्तरों पर मातृभाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया । राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भाषाओं के संबंध में उस नीति को ही दोहराया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया है । राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) ने बालक की शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए कम से कम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ भाषा को अपनाने का सुझाव दिया है तथा भारत में बहुभाषिता को प्रोत्साहित करने हेतु त्रिभाषा सूत्र को कार्य रूप एवं भाव रूप में अपनाने का सुझाव दिया है । इस प्रकार अधिकांश आयोगों द्वारा अपनी संस्तुतियों में मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था के प्रोत्साहन की बात की गई, विभिन्न समय पर जारी की गईं शिक्षा नीतियों में भी शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा की वकालत की गई है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मातृभाषा के महत्व को उल्लिखित करने वाले शोध बहुतायत से हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि मातृभाषा का बालक के जीवन में विशेष महत्व है । विश्व बैंक (2005), ने अपने प्रत्यावेदन में मातृभाषा के महत्व को उल्लिखित करते हुए कहा यह सर्वविदित है कि यदि अनुदेशन हेतु स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाये तो स्थानीय विषयवस्तु को प्रमुखता से पाठ्यक्रम में समावेशित किया जा सकता है । अधिगमकर्ता द्वारा इस प्रकार अर्जित किये गये अधिगम अनुभव अधिक सार्थक सिद्ध होंगे । स्थानीय भाषा का

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रयोग करते हुए कक्षा संसाधन के रूप में अभिभावकों एवं सामुदायिक संसाधनों की सहभागिता को बढ़ाया जा सकता है । यूनेस्को (2007) मातृभाषा को मात्र किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक एवं भाषायी विविधता को संरक्षित करने के माध्यम के तौर पर ही नहीं देखा जाना चाहिए अपितु इसका व्यापक शैक्षिक महत्व भी है । मातृभाषा आधारित अनुदेशन बालकों तक ज्ञान एवं कौशलों को संप्रेषित करने का सर्वाधिक प्राकृतिक एवं प्रभावशाली माध्यम है चूँकि वह अपने ज्ञान को संगठित करने की प्रक्रिया में विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर की क्रियाओं में प्रतिभाग करता है । राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (2017) के अनुसार कक्षा 3, 5 एवं 8 के विद्यार्थियों जिनकी घर में बोली जाने वाली भाषा, विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा से भिन्न थी की तुलना में उन विद्यार्थियों की उपलब्धि सार्थक रूप बेहतर रही जिनकी घर में बोली जाने वाली भाषा तथा विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा में समानता थी ।

संबंधित साहित्य की समीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि अधिकांश आयोगों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की उपयोगिता को स्वीकार किया गया तथा विभिन्न शोध प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा के महत्व की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं । बालक की शिक्षा में मातृभाषा का संबंध उसकी अकादमिक उन्नति से होता है एवं वैश्विक स्तर पर मातृभाषा की उपयोगिता सिद्ध को चुकी है । बालक के सर्वांगीण विकास में मातृभाषा के महत्व सिद्ध होने तथा विभिन्न आयोगों द्वारा मातृभाषा के उपयोग की संस्तुति के बावजूद भारतीय परिदृश्य में जिस तरह मातृभाषा की अवहेलना की जा रही है वह वास्तव में चिंताजनक है । प्रश्न उठता है विभिन्न नीतियों में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की सतत पैरवी किए जाने के बावजूद क्रियान्वयन में वह कौन सी समस्याएँ है जिसके कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एक बार पुनः मातृ भाषा के महत्व को विशेष रूप से उल्लिखित करते हुए मातृ भाषा में शिक्षण की वकालत की गई है । अतः प्रस्तुत शोध में मातृभाषा के प्रति घटते रुझान के कारणों को जानने के साथ ही नीतिगत क्रियान्वयन की समस्याओं का अध्ययन किया गया है ।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

समस्या कथन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा का क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ ।

अध्ययन के उद्देश्य

- शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना ।
- शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के क्रियान्वयन में व्यावहारिक चुनौतियों का अध्ययन करना ।

शोध प्रश्न

- शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा की धरातलीय स्थिति कैसी है ?
- शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा अपनाने के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है ?
- शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों के प्रत्यावेदनों एवं नीतियों के अंतर्गत शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा के संबंध में क्या विचार प्रकट किए हैं?
- नई शिक्षा नीति के तहत मातृ भाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में अपनाने की व्यावहारिक चुनौतियाँ क्या हैं ?

शोध प्रारूप

शोध विधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए एवं गहन सूचनाओं के संग्रहण हेतु शोधार्थी द्वारा गुणात्मक शोध विधि का उपयोग किया गया है ।

जनसंख्या

प्रस्तुत अध्ययन में शोधार्थी द्वारा विकास खण्ड - बेरीनाग, जनपद – पिथौरागढ़, राज्य - उत्तराखण्ड के ऐसे अभिभावकों एवं शिक्षकों को सम्मिलित किया गया जिनका संबंध प्राथमिक शिक्षा से है । इसके अतिरिक्त शिक्षा जगत से संबंधित विशेषज्ञों को भी शोध में सम्मिलित किया गया है ।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रतिदर्श

चूँकि प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक है । अतः शोध प्रकृति के अनुरूप शोधार्थी द्वारा उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन विधि का पालन करते हुये बेरीनाग विकास खण्ड में कार्यरत शिक्षकों एवं अभिभावकों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित विषय विशेषज्ञों का चयन किया गया है । प्रतिदर्श का आकार 80 रखा गया है ।

उपकरण

शोध समस्या की प्रकृति के अनुरूप शोधार्थी द्वारा शोध हेतु समूह परिचर्चा तथा साक्षात्कार विधि का उपयोग किया गया । शोध प्रक्रिया में आकड़ों के संग्रहण हेतु प्रमुखतः खुली सीमा के संरचनात्मक साक्षात्कार उपकरण का उपयोग किया गया । आरंभिक वार्तालाप के पश्चात प्रयोज्यों की अनुमति लेकर साक्षात्कार का श्रव्य अभिलेखन किया गया ।

सांख्यिकीय प्रविधियाँ

चूँकि शोध की प्रकृति गुणात्मक है अतः आंकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों के स्थान पर गुणात्मक विश्लेषण किया गया । गुणात्मक विश्लेषण की प्रक्रिया में साक्षात्कार के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को लिपिबद्ध करते हुए विश्लेषण किया गया ।

विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधकर्ता द्वारा शोध उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गुणात्मक शोध विधि का चयन किया गया था । जिसके अनुक्रम में शोधार्थी द्वारा 80 प्रयोज्यों का चयन किया गया तथा गहन सूचनाओं के संग्रहण हेतु प्रयोज्यों का साक्षात्कार किया गया । साक्षात्कार के दौरान प्रत्येक प्रयोज्य की अनुमति लेकर वार्तालाप का श्रव्य अभिलेखन किया गया । तत्पश्चात प्राप्त जानकारी को प्रयोज्यवार प्रतिलेखन किया गया तथा प्राप्त समस्त जानकारियों को बिंदुवार वर्गीकृत किया गया ।

निष्कर्ष एवं परिणाम

प्रस्तुत अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा का क्रियान्वयन एवं चुनौतियाँ के अंतर्गत शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा की

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

धरातलीय स्थिति एवं क्रियान्वयन की दिशा में चुनौतियों को जानने का प्रयास किया गया है । शोध उपकरण के रूप में साक्षात्कार प्रविधि का उपयोग करते हुए साक्षात्कार का श्रव्य अभिलेखन किया गया तत्पश्चात विश्लेषण किया गया । प्रस्तुत शोध के परिणाम निम्नवत हैंः

शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा की धरातलीय स्थिति कैसी है ?

- शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा की धरातलीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आँकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं की विगत कुछ वर्षों में मातृभाषा आधारित विद्यालयों के प्रति समाज का रुझान कम हुआ है ।
- क्षेत्र के हिंदी माध्यम विद्यालयों के अंतर्गत छात्र नामांकन में निरंतर गिरावट आई है वहीं अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन स्तर लगातार बढ़ रहा है ।
- समाज में एक आम विमर्श स्थापित है की बच्चे की भावी प्रगति के लिए उसका अंग्रेजी माध्यम विद्यालय से पढ़ना अति आवश्यक है । अभिभावक मानते हैं कि अंग्रेजी का बेहतर ज्ञान बेहतर अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है ।
- रोजगार अवसरों में अंग्रेजी भाषा पर महारत रखने वालों को उच्च वरीयता मिलना मातृभाषा आधारित शिक्षा से विमुख होने का प्रमुख कारण है ।
- उच्च शिक्षा में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला होने के कारण अधिकांश अभिभावक यह समझते हैं की यदि उनका पाल्य हिंदी माध्यम विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसे आगे जाकर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ।
- अभिभावकों ने महंगे स्कूल और महंगी शिक्षा को गुणवत्ता का पैमाना समझ लिया है, चूँकि महंगे स्कूल सामान्यतः अंग्रेजी माध्यम में संचालित हो रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम की चकाचौंध अभिभावकों को आकर्षित करती है ।

शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा अपनाने के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है ?

- शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा को अपनाने के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है ।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- मातृ भाषा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि में अभिभावकों में मातृ भाषा के विषय में आवश्यक समझ का पर्याप्त अभाव पाया गया ।
- अधिकांश अभिभावक बच्चों की शिक्षा में मातृभाषा की उपयोगिता से परिचित नहीं है । वह कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, वहीं दूसरी ओर कुछ अभिभावक यह तो मानते हैं कि मातृ भाषा में अध्ययन करना उपयोगी हो सकता है । हालाँकि मातृ भाषा आधारित विद्यालयों की स्थिति बेहतर न होने के कारण वह अपने पाल्यों को वहाँ नहीं भेजते हैं ।
- लगभग सभी अभिभावक इस बात पर एकमत हैं की यदि मातृ भाषा आधारित विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर हो तो वह निश्चित रूप से अपने पाल्यों हेतु उन्हीं विद्यालयों का चयन करेंगे ।

शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों के प्रत्यावेदनों एवं नीतियों ने शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा के संबंध में क्या विचार प्रकट किए हैं ?

- मैकाले (1835), ने अपने विवरण पत्र में मातृभाषा को महत्व नहीं दिया, उसने मातृ भाषा को नजरंदाज करते हुए कहा कि भारत के निवासियों में प्रचलित देशी भाषाओं में साहित्यिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान कोष का अभाव है और वे इतनी अविकसित तथा गँवारू हैं कि जब तक उनको वाह्य भण्डार से सम्पन्न नहीं किया जायेगा तब तक उनसे किसी भी महत्वपूर्ण पुस्तक का सरलता से अनुवाद न हो सकेगा । तमाम शिक्षाविद दोषपूर्ण भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए मैकाले को ही जिम्मेदार ठहराते हैं उनके अनुसार मैकाले द्वारा षड्यंत्र पूर्वक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया जो अंग्रेज शासन के हितों के अनुकूल थी ।
- वुड (1854), ने अपने घोषणा पत्र में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं को शिक्षा प्रदान करने हेतु माध्यम के रूप में स्वीकार किया है । घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है की यूरोपीय ज्ञान के प्रसार हेतु अंग्रेजी भाषा तथा अन्य परिस्थितियों में भारतीय भाषाओं को शिक्षा के रूप में एक साथ देखने की आशा व्यक्त की जाती है ।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- भारतीय शिक्षा आयोग (1882), ने शिक्षा के माध्यम के विषय में सुझाव देते हुए प्राथमिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को ही शिक्षा का माध्यम बनाने की संस्तुति की थी ।
- सैडलर आयोग (1919), द्वारा इण्टरमीडिएट स्तर तक भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाये जाने की सिफारिश की, आयोग की इस सिफारिश को सरकार द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई ।
- वुड एबट (1937), के प्रत्यावेदन के अनुसार निम्न माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी की शिक्षा पर बल नहीं देना चाहिए तथा हाईस्कूल तक की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से देनी चाहिए ।
- सार्जेण्ट प्रत्यावेदन (1944), द्वारा सभी हाईस्कूलों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा को बनाने के लिए कहा गया ।
- राधाकृष्णन आयोग (1949) द्वारा सुझाव दिया गया था कि उच्च माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को तीन भाषाओं का ज्ञान कराया जाये । प्रारम्भिक स्तरों पर मातृभाषा को ही स्वीकार किया गया ।
- मुदालियर आयोग (1953) द्वारा हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने हेतु यह सुझाव दिया गया कि हिंदी को विद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय बनाया जाना चाहिए ।
- शिक्षा आयोग (1966) ने बालक की शिक्षा में मातृभाषा के उपयोग को स्वीकार करते हुए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग पर बल दिया है ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) द्वारा शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को अपनाते हुए प्रारंभिक स्तरों पर मातृभाषा को माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में भाषाओं के संबंध में उस नीति को ही दोहराया गया है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में कहा गया है ।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) ने बालक की शिक्षा में मातृभाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए कम से कम प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृ भाषा को अपनाने का सुझाव दिया है तथा भारत में बहुभाषिकता को

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

प्रोत्साहित करने हेतु त्रिभाषा सूत्र को कार्यरूप एवं भावरूप में अपनाने का सुझाव दिया है । इस प्रकार अधिकाँश आयोगों द्वारा अपनी संस्तुतियों में मातृभाषा आधारित शिक्षा व्यवस्था के प्रोत्साहन की बात की गई, समय समय पर जारी की गईं शिक्षा नीतियों में भी शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा की वकालत की गई है । इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मातृभाषा के महत्व को उल्लिखित करने वाले शोध बहुतायत से हैं जो यह प्रदर्शित करते हैं कि मातृभाषा का बालक के जीवन में विशेष महत्व है ।

नई शिक्षा नीति के तहत मातृ भाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में अपनाने की व्यावहारिक चुनौतियाँ क्या हैं ?

- मातृभाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में लोकप्रिय बनाने में प्रमुख चुनौती समाज की मानसिकता है । हमारे समाज में अंग्रेजी बोलने वाले को श्रेष्ठ समझा जाता है । अभिभावक बच्चों के अंदर यह भाव जाग्रत कर रहे हैं की अंग्रेजी बोलने वाला विद्वान है और जो अंग्रेजी भाषा में महारत नहीं रखता उसे दोयम दर्जे का समझा जाता है ।
- मातृ भाषा के प्रति घटती रुचि के संबंध में शिक्षकों एवं विशेषज्ञों का मत है की इसका प्रमुख कारण भाषा माध्यम नहीं है अपितु विद्यालयों की दशा और उनका शैक्षिक स्तर है, आज अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का प्रदर्शन बेहतर है इस कारण स्वाभाविक है अभिभावकों का झुकाव उसी ओर है अतः प्रश्न माध्यम का नहीं है अपितु विद्यालयों के प्रदर्शन का है ।
- विशेषज्ञ निस्यंदन सिद्धांत को रेखांकित करते हुए कहते हैं उच्च वर्ग जिस भाषा को अपनाता है वही धीरे धीरे नीचे की ओर चलता है । जब हम विद्वता को किसी भाषा के साथ जोड़ देते हैं तो ऐसे में निस्यंदन सिद्धांत प्रभावी हो जाता है और वही प्रभावी है
- समाज में सामान्यतः एक आम भाषा होती है और दूसरी भाषा प्रबुद्ध वर्ग से संबंध रखती है । समाज का प्रबुद्ध वर्ग सदैव एक अलग भाषा का प्रयोग करता रहा है जैसे मुगल काल में अरबी फारसी का उपयोग करने वालों को विशेष दर्जा प्राप्त था, अंग्रेजों के समय इसी तरह अंग्रेजी का बोलबाला रहा, अंग्रेजी भाषा आज भी प्रबुद्धता

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

का परिचायक मानी जाती है। देश का मध्यम वर्ग चाहता है वह भी प्रबुद्ध वर्ग का अनुकरण करे । यह प्रवृत्ति भी अंग्रेजी माध्यम की ओर लोगों को आकर्षित करती है ।

- उच्च शिक्षा के अंतर्गत मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का अभाव है, वहाँ बच्चों की मातृभाषा में शिक्षण सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए ।
- हिंदी माध्यम के प्रति घटती रुचि के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज समाज में हिंदी माध्यम विद्यालय के रूप में सरकारी विद्यालय ही दिमाग में आते हैं जहाँ शिक्षकों का अभाव है, विद्यालयों में शैक्षणिक माहौल का अभाव है जबकि वहीं दूसरी ओर निजी विद्यालय में बच्चों के पास सीखने के बेहतर अवसर है इस कारण लोग उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं ।
- शिक्षक कहते हैं सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अपने कार्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करता, वह कार्य करना नहीं चाहते हालाँकि उनकी योग्यता बेहतर है । शिक्षक स्वयं राजकीय विद्यालयों के प्रति घटती रुचि में शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करते हैं । शिक्षक और अभिभावक दोनों मानते हैं आमतौर पर सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी का पाल्य सरकारी हिंदी माध्यम विद्यालय में पढ़ाई नहीं करता जिस कारण समाज में नकारात्मक संदेश जाता है ।
- शिक्षक अपना अनुभव साझा करते हुए कहते हैं कि सरकारी व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है । पहले राजकीय विद्यालयों की स्थिति अच्छी थी, विद्यालय कम थे शिक्षक अधिक थे जिस कारण विद्यालय में शिक्षा का स्तर अच्छा था परंतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्थान-स्थान पर विद्यालय खुल जाने के कारण समस्या गंभीर हो चुकी है ।
- आज वैश्वीकरण का दौर है और अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अभिभावकों को लगता है की अंग्रेजी बोलने की क्षमता रखने पर विद्यार्थी को बेहतर रोजगार अवसर मिलते हैं । आज अंग्रेजी रोजगार की भाषा के रूप में स्थापित हो चुकी है । अतः हिंदी को भी उसी तरह रोजगार से जोड़ा जाए जैसे अंग्रेजी भाषा को रोजगार से जोड़ा गया है

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- आज देश में संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी स्थापित हो चुकी है, जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे हम पाएंगे संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान होना जरूरी है । इस कारण भी अंग्रेजी माध्यम के प्रति रुचि बढ़ी है ।
- विभिन्न प्रशासनिक कार्यों एवं राजकीय कार्यालयों में हिंदी भाषा को वरीयता नहीं दी जाती है जिस कारण समाज में अंग्रेजी भाषा के विशिष्ट होने का विमर्श स्थापित हुआ है ।

सुझाव

शोध निष्कर्ष दर्शाते हैं कि आजादी से पूर्व और आजादी के बाद भी नियमित अंतराल पर गठित आयोगों के सुझावों और नीतियों में अधिकांशतः मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने की बात कही गई, परंतु धरातल पर नीतियों के क्रियान्वयन में गंभीर समस्या रही है जिस कारण शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा के प्रति रुचि घटी है । अंग्रेजी भाषा के प्रति अत्यधिक झुकाव एवं राजकीय कार्यों में अंग्रेजी के प्रमुखतः उपयोग के कारण मातृ भाषा के प्रति रुचि कम हुई है । अभिभावकों में आवश्यक जागरूकता का अभाव भी एक प्रमुख कारण है, समाज अंधानुकरण की प्रवृत्ति से ग्रसित है । हिंदी माध्यम में संचालित राजकीय विद्यालयों की दुर्दशा भी एक प्रमुख कारण है । रोजगार के अवसरों में मातृभाषा की निरंतर अवहेलना हो रही है । यह देखा गया है समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों एवं नीति निर्माताओं द्वारा अपने पाल्यों की शिक्षा हेतु मातृभाषा आधारित विद्यालयों को नहीं अपनाया जाता, इस प्रकार का दोहरा चरित्र सामाजिक विमर्श स्थापित करता है । अतः बालक की शिक्षा में मातृभाषा को शिक्षा माध्यम के रूप में स्थापित करने हेतु उक्त सभी चुनौतियों पर कार्य करना अत्यंत आवश्यक है । नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए मातृ भाषा आधारित शिक्षा को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है जो की निश्चित रूप से सराहनीय है । शोध निष्कर्ष दर्शाते हैं शिक्षण माध्यम के रूप में मातृभाषा के क्रियान्वयन में व्यापक चुनौतियाँ हैं अतः उक्त नीति को पूर्ण निष्ठा एवं गंभीर इच्छा शक्ति के साथ क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है । शोध

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

अध्ययन में प्राप्त विभिन्न हित धारकों के विस्तृत विचारों का अध्ययन कर नीतिगत क्रियान्वयन की खामियों को दूर करते हुए विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दिशा में ठोस पहल किया जाना अत्यंत आवश्यक है ।

शैक्षिक निहितार्थ :

वैश्विक स्तर पर अधिकांश समाज बच्चों की शिक्षा में माध्यम के रूप में मातृ भाषा को ही वरीयता प्रदान करते हैं । इसी को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बालक की शिक्षा में मातृ भाषा के महत्व को स्वीकार करती है । शोध निष्कर्ष बताते हैं की इससे पूर्व भी शिक्षा संबंधी विभिन्न आयोगों की संस्तुतियों एवं नीतियों में मातृ भाषा को ही शिक्षा माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया , परंतु धरातलीय अन्वेषण यह दर्शाता है की शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा को स्थापित करने में व्यापक चुनौतियों विद्यमान हैं । पिछले कुछ समय से अभिभावकों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के प्रति रुझान बढ़ा है । सामर्थ्यवान अभिभावक अपने पाल्यों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में भेजना सम्मान के रूप में देखते हैं । शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की वर्तमान स्थिति की विवेचना करने पर ज्ञात होता है मातृ भाषा के प्रति रुचि घटी है । इस घटती रुचि के प्रमुख कारण समाज में अंग्रेजी भाषा का बढ़त प्रभाव है । शैक्षिक माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा के बढ़ते प्रभाव तथा मातृभाषा के घटते उपयोग में दोषपूर्ण नीतिगत क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । कोई भी नीति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसका क्रियान्वयन पूर्ण निष्ठा के साथ न किया जाए, अतः मातृभाषा को प्रोत्साहित करने हेतु सुचारु नीतिगत क्रियान्वयन की गहरी आवश्यकता है । शोध निष्कर्षों को दृष्टिगत रखते हुए मातृ भाषा के क्रियान्वयन में अवरोध बन रही चुनौतियों को समग्र रूप से समझते हुए उनको दूर करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है । अन्यथा पूर्व में जारी की गई नीतियों की भांति नई शिक्षा नीति भी मात्र एक दस्तावेज बन कर रह जाएगी । शिक्षा माध्यम के रूप में मातृ भाषा को सर्वत्र लागू करने के प्रयास अधूरे रह जाएंगे ।

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भावी शोध हेतु सुझाव

प्रस्तुत शोध द्वारा प्राप्त परिणामों को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र में भविष्य में नवीन शोध भी किये जा सकते हैं। कुछ संभावित शोध सुझाव निम्नवत् हैं।

- विभिन्न हित धारक समूहों पर भी समान शोध किया जा सकता है।
- सरकार द्वारा मातृभाषा के प्रोत्साहन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को लेकर भी शोध किया जा सकता है।
- नीतिगत क्रियान्वयन की खामियों को समझने के लिए प्रशासनिक तंत्र से जुड़े व्यक्तियों पर शोध किया जा सकता है।
- राजकीय विद्यालयों की शैक्षणिक स्थिति एवं चुनौतियों के संबंध में भी शोध किया जा सकता है।

ग्रंथ एवं संदर्भ सूची

कर्लिंगर, एन. एफ. (2002). फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, सुरजीत पब्लिकेशन, दिल्ली.

कौल, एल. (2009). मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च. न्यू दिल्ली : विकास पब्लिकेशन हाउस प्राइवेट लिमिटेड.

पाठक, पी. डी. (2013). भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, आगरा, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा.

एन सी ई आर टी (1970), राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (1966) http://14.139.60.153/handle/123456789/184 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

एन सी ई आर टी (2005), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, https://ncert.nic.in/pdf/nc-framework/hindi.pdf से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

एन सी ई आर टी (2020), राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2017, https://ncert.nic.in/pdf/NAS/WithReleaseDate_NPPTL.pdf से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया।

पाल, वाई. एण्ड अय्यर, एस. (2012, 18-20 जुलाई). कम्पैरिसन ऑफ इंग्लिश वर्सेस हिंदी मीडीयम स्टूडेंट्स फॉर प्रोग्रामिंग एबिलिटीस एकवायर्ड थ्रो विडिओ बेस्ड इन्स्ट्रक्शन . पेपर प्रेजेंटेड एट आईईईई फोर्थ इंटरनेशनल कॉनफेरेंस ऑन टेक्नॉलजी फॉर

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

एजुकेशन, हैदराबाद, इंडिया . http://ieeexplore.ieee.org/document/6305939/?reload=true से 30 नवंबर 2017 को प्राप्त किया गया ।

बेस्ट, जे. डब्ल्यू. एण्ड काहन, जे. वी. (1993). रिसर्च इन एजुकेशन. न्यू दिल्ली : प्रेटिस हॉल ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड.

भारत सरकार (1982), भारतीय शिक्षा आयोग 1982 http://14.139.60.153/handle/123456789/1277 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

मैकाले, टी. बी. (1835). मिनट अपान इंडियन एजुकेशन. http://home.iitk.ac.in/~hcverma/Article/Macaulay-Minutes.pdf से 08 नवंबर 2021 को प्राप्त किया ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (1986), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, http://14.139.60.153/handle/123456789/371 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

मिश्र, पी. (सम्पादक) (2015). पाठ्यक्रम में भाषा (प्रथम संस्करण). वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान.

यूनेस्को (2007) मदर टंग मैटर्स - लोकल लैंग्वेज एस ए की टू ईफेक्टिव लर्निंग ; 2007 http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001611/161121e.pdf से 19 फ़रवरी 2018 को प्राप्त किया गया ।

यूनेस्को (2007) मदर टंग बेस्ड लिटरेसी प्रोग्राम्स – केस स्टडीस ऑफ गुड प्रैक्टिस इन एशिया ; 2007 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001517/151793e.pdf से 19 फ़रवरी 2018 को प्राप्त किया गया ।

यूनेस्को (2011) एनहेनसिंग लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम डाइवर्स लैंग्वेज बैकग्राउन्डस मदर टंग बेस्ड बाइलिंग्वल ऑर मल्टीलिंग्वल एजुकेशन इन द अर्ली ईयर्स, पेपर कमिसनड फॉर यूनेस्को . http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002122/212270e.pdf से 19 फ़रवरी 2018 को प्राप्त किया गया ।

वुड, सी. (1854), वुड का घोषणा पत्र 1854 http://uafulucknow.ac.in/wp-content/uploads/2020/03/unnamed-file.pdf से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

वर्ल्ड बैंक. (2005) " इन देयर ओन लैंग्वेज एजुकेशन फॉर ऑल", इन एजुकेशन नोट्स . वाशिंगटन डी. सी. : वर्ल्ड बैंक

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

https://documents1.worldbank.org/curated/en/374241468763515925/pdf/389060Language00of1Instruct01PUBLIC1.pdf से 20 फ़रवरी 2018 को प्राप्त किया गया ।

शिक्षा विभाग (1945), वुड एबॉट प्रत्यावेदन 1937 http://14.139.60.153/handle/123456789/6997 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

शिक्षा मंत्रालय (1947), सार्जेंट प्रत्यावेदन1947, http://14.139.60.153/handle/123456789/4615 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1953), माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 http://14.139.60.153/handle/123456789/187 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1962), विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1949, http://14.139.60.153/handle/123456789/255 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (1968), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, http://14.139.60.153/handle/123456789/351 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2020), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_final_HINDI_0.pdf से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

सुपरेटेंडेंट गवर्नमेंट प्रिंटिंग(1919), कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1919 http://14.139.60.153/handle/123456789/7071 से 02 नवंबर 2021 को प्राप्त किया गया ।

सिंह, ए. के. (2014). रिसर्च मेथड्स इन साइकालजी सोशियोलॉजी एण्ड एजुकेशन. न्यू दिल्ली : मोतीलाल बनारसीदास.

Cite Your Article as:

Sunil Kumar Bhatt, & Bhaskar Chaudhary. (2023). RASHTRIYA SHIKSHA NITI 2020 KE ALOK MAIN SHIKSHA KE ROOP MAIN MATRUBHASHA KA KARYANVYAN EVUM CHUNAUTIYA. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 11(57), . 78–95. https://doi.org/10.5281/zenodo.8123301

Copyright © 2023, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies